प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..........105../2023 दिनांक...3/5/2023..........

2. (I) **अधिनियम....धारायें**:-7,11 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(II) **अधिनियम** ....धारायें ....
(III) **अधिनियम** .... धारायें ....
(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** ....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** ....61............ **समय** 6:10 pm
(ब) **अपराध घटने का वार**.....मंगलवार.....दिनांक 02.05.2023 **समय** 12.45 पीएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** 24.04.2023

4. **सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक**- लिखित

5. **घटनास्थल :**- कार्यालय प्रबन्धक संचालन, डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, जयपुर।
(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब** पश्चिम-उत्तर दिशा में करीब 10 कि0मी0
(ब) पता कार्यालय प्रबन्धक संचालन, डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, जयपुर।

..............................बीट संख्या...........................जयरामदेही सं.................

(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना ....**जिला** ....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :-**
(अ) **नाम:**- श्री राजकुमार
(ब) पिता/पति का नाम:- श्री लाल सिंह
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष............उम्र 58 साल..................
(द) राष्ट्रीयता:- भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या:- जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह ....
(र) **व्यवसाय:**- रोड़वेज चालक(सरकारी चालक)
(ल) पता:- प्लाट न.9 जी, कृष्णा कुंज सिरसी रोड़ जयपुर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :** –
1. श्री राहुल बंसल पुत्र श्री राकेश बंसल जाति–महाजन, उम्र–33 साल, निवासी– गणेश चौक, पुलिस थाना– महुआ, जिला–दौसा हाल निवासी– प्लाट न.218, फ्लैट नम्बर– एस 2, सूर्य नगर, रिद्धी सिद्धी चौराहे के पास, पुलिस थाना– महेश नगर, जिला– जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय, जयपुर हाल प्रबन्धक संचालन, डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर।

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**
रिश्वती राशि 2500/-रूपये

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :**- रिश्वती राशि 2500/-रूपये।

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-**

परिवादी श्री राजकुमार का प्रार्थना पत्र श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, विशेष अनुसंधान इकाई,भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पृष्टांकन कर परिवादी व साथ आये व्यक्ति से

परिचय करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई,भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर विषय– भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत।महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि में प्रार्थी राजकुमार S/.श्री लाल सिंह डीलक्स डिपो में R.S.R.T.C जयपुर में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 20.4.2023 को प्रार्थी वाहन संख्या RJ 14 PC 0585 को लेकर अलीगढ़ मार्ग से डीलक्स डिपो आया तो वाहन का आगे का शीशा जम्प पर क्रेक हो गया जो कि पहले से भी क्रेक था। मेरे द्वारा प्रबन्धक संचालन को बताया तो उन्होने मुझसे बाहर नया शीशा लगवाने के लिए कहा मेरे द्वारा कहा कि बाहर ज्यादा पैसे मांगते हैं व ये शीशा तो पहले से ही टुटा हुआ था। स्टोर कीपर द्वारा M O सहाब को समझाने पर अक्त वाहन का शीशा सेन्टर वर्क शोप बगराना में रोड़वेज द्वारा फ्री में लगा दिया गया क्योंकि वाहन की स्थिति जर्जर है व अपनी क्षमता से दोगुनी चल चुकी है। शीशा लगने के बाद M O सहाब मुझसे पॉच हजार रू. मांग रहे हैं नही देने पर चार्जशीट देने की धमकी दे रहे हैं। मैं M O सहाब श्री राहुल बशंल को रिस्वत नही देना चाहता में उन्हे रगें हाथों पकडवाना चाहता हूँ मेरी श्री राहुल बशंल से कोई पुरानी रंजिश नही है और उधार का कोई लेन देन भी बकाया नहीं है। ता0 24.4.23 एसडी प्रार्थी चालक राजकुमार S/.श्री लाल सिंह R.S.R.T.C (डीलक्स डिपो जयपुर पता कृष्णा कुंज सिरसी रोड़ प्लाट न.9 G जयपुर M.N.9001715747" आदि पर अपने कार्यालय कक्ष में लाकर परिवादी से मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख से लिखा होना बताकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। मामला रिश्वत मांग का होने से सत्यापन रिश्वत मांग करवाना उचित प्रतीत होता है। मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष सिंह कानि. 486 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में बताया गया एवं कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मंगवा कर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में 32 जी. बी. का मेमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी व श्री मनीष सिंह कानि0 486 व परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधी समझाईस की जाकर रिश्वत मांग सत्यापन के लिए परिवादी के साथ श्री मनीष सिंह कानि0 486 को दुध मण्डी, वर्क शॉप, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के कार्यालय को समय 02.50 पीएम पर हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया।दिनांक 24.04.2023 को श्री मनीष सिंह कानि.486 ने जरिये दुरभाष बताया की मैं व परिवादी एसीबी कार्यालय से रवाना होकर दुध मण्डी, वर्क शॉप, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के कार्यालय के पास पहुँचे जिस पर मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास रवाना कर दिया तथा मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के कार्यालय के पास ही अपनी उपस्थिती छुपातें हुये मुकीम हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया व बताया की जैसे ही मैं कार्यालय के अन्दर गया तो वर्क शॉप में पुराने सामान की नीलामी प्रकिया चल रही थी वहीं पर संदिग्ध अधिकारी मिल गया जिससे मैंने मेरे काम की बात की उस बातचीत को मैंने वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है । श्री मनीष सिंह कानि. ने बताया की मुझे अब अन्य गोपनीय राजकार्य में जाना है जिस पर श्री मनीष सिंह कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखने व कल दिनांक 25.04.2023 को कार्यालय में आकर सुपुर्द करने व परिवादी को भी गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 25.04.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष श्री मनीष सिंह कानि.486 फिकरा उपरोक्त का गया हुआ उपस्थित कार्यालय आया व बंद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष सिंह कानि0 द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुनने पर श्री मनीष सिंह कानि. के द्वारा बताई गई बातों की ताईद होती है। चुंकि परिवादी ने श्री मनीष सिंह कानि. को बताया था की मैं जैसे ही रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में गया तो संदिग्ध अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं मिला जिस पर मैं काफी देर तक मैंने काफी देर तक संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय के पास ही उपस्थित रहा तत्पश्चात मुझे पता चला की वर्कशॉप में आज पुराने सामान की नीलामी की प्रकिया चल रही है और वह नीलामी की प्रक्रिया संदिग्ध अधिकारी की देखरेख में हो रही है, जिस पर मैं नीलामी वाले स्थान पर गया तो वहां जोर जोर से अन्य व्यक्तियों की आवाजें आ रही थी। इसी दौरान संदिग्ध अधिकारी कुछ समय के लिए मेरे पास आया मेरे काम के सम्बन्ध में बात की जिसे मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली। मेरे द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी की

बातों की ताईद हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के साथ अन्य असम्बन्धित वार्तायें होने से परिवादी से सम्पर्क कर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवायी जावेगी तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रखा गया। दिनांक 26.04.2023 को समय 12.00 पीएम पर परिवादी श्री राजकुमार उपस्थित कार्यालय आया, जिन्हें बैठाया गया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में मेरी निगरानी में सुरक्षित रखा गया को बाहर निकालकर कार्यालय के लैपटॉप से जोड़कर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुनाया, जिसमें अन्य असम्बन्धित वार्तायें होने से पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कहा तो परिवादी ने अपनी सहमति जताई। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री मनीष सिंह कानि.को तलब कर पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सेव/सुरक्षित को लैपटॉप से निकालकर बंद कर श्री मनीष सिंह कानि. को सुपुर्द कर परिवादी व श्री मनीष सिंह कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु दुध मण्डी, वर्क शॉप, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को समय 12.30 पीएम पर रवाना कर हिदायत मुनासिब की गई। समय 03.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष श्री मनीष सिंह कानि.486 फिकरा उपरोक्त का गया हुआ उपस्थित कार्यालय आया व बंद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर दुध मण्डी, वर्क शॉप, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के कार्यालय के बाहर पहुँचे, जहाँ पर मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री राजकुमार को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय को रवाना किया गया व मैं वहीं आस–पास ही परिवादी का इन्तजार करने हेतू मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसको मेरे द्वारा बंद कर सुरक्षित मेरे पास रखा एवं परिवादी ने बताया की मैं आपके पास से रवाना होकर संदिग्ध आरोपी के कार्यालय के अन्दर गया तो संदिग्ध अधिकारी अपने कार्यालय में बैठा था। मेरे व संदिग्ध अधिकारी के आपस में हुई बातें मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली हैं। जिसके बाद मैंने आप से सम्पर्क किया व आपके निर्देशानुसार परिवादी को गोपनीयता बरतने एवं पैसे की व्यवस्था होते ही एसीबी कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर दुध मण्डी, वर्क शॉप, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर के कार्यालय के बाहर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष सिंह कानि0 द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुनने पर श्री मनीष सिंह कानि. के द्वारा बताई गई बातों की ताईद होती है तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रखा गया, आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 01.05.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री राजकुमार से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया मैं किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सका कल दिनांक 02.05.2023 को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके पास उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की जानी वाली प्रकिया हेतु ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने व गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात श्री मनीष सिंह कानि.486 को गोपनीय कार्यवाही हेतू दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द कर लाने हेतू पत्रांक SPL–1 दिनांक 01.05.2023 के रवाना किया गया। समय 4.30 पीएम पर श्री मनीष सिंह कानि.486 को गोपनीय कार्यवाही हेतू कार्यालय उप वन संरक्षक एवं प्रावेधिक सहायक,अरण्य भवन जयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द कर साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर नाम पता पुछा जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमती चाही जाने पर स्वतंत्र गवाहान ने अपनी स्वेच्छा से गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमती प्रदान की। जिस पर स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 02.05.2023 को समय 10.15 ए.एम पर चौकी हाजा द्वारा गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबंद किये हुए स्वतंत्र गवाहान श्री शंकर लाल एवं श्री मुकेश गुर्जर एवं परिवादी श्री राजकुमार उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढाया जाकर स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी–अपनी सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री लाल सिंह निवासी– प्लाट न.9 जी, कृष्णा कुंज सिरसी रोड़ जयपुर को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी श्री राहुल बंसल को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री राजकुमार ने अपने पास से प्रचलित भारतीय मुद्रा के संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2500/–रूपये जिनमें पांच–पांच सौ रूपये के 5 नोट कुल पच्चीस सौ रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले नोटो के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	2 NW	634981
2.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	6 TG	954102
3.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	2 NW	634980
4.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	1 CA	423401
5.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	8 BC	938216

उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्रीमती निधि म. कानि.नं.86 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच–पांच सौ रूपये के 5 नोट कुल पच्चीस सौ रूपये के नोटों पर श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री शंकर लाल से परिवादी श्री राजकुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल फोन, नजर का चश्मा व स्कुटी की चाबी के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 द्वारा उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 2500/–रू. संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को देने हेतु परिवादी के पहने हुए पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को जब तक नहीं छुयेगा तब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावे, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 9829223391 पर मिसकॉल/फोन कर तथा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करे। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्रीमती निधि म.कानि.नं.86 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जायेगा और इसी

प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा श्रीमती निधि म. कानि.नं.86 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट किया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल फोन,नजर का चश्मा एवं स्कुटी की चाबी उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि मोबाईल फोन को अपने शर्ट की उपर की जेब में रखे आवश्यकता पडने पर ही अपने फोन से बात करें। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी व उसके मध्य रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर रिश्वत मांग सत्यापन के वक्त काम में लिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकालकर सुपुर्द किया गया तथा श्रीमती निधि म.कानि. नं.86 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री राजकुमार को श्री मनीष सिंह कानि0 486 के साथ बाद हिदायत उसकी स्कूटी होन्डा एक्टीवा नम्बर आरजे 47 जीए 0710 से कार्यालय प्रबन्धक संचालन, डीलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर रवाना कर श्री कमल नयन उप अधीक्षक पुलिस, श्री प्रमेन्द्र रावत उप अधीक्षक पुलिस, श्री रोशन लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर से अग्रिम कार्यवाही में सहायतार्थ हेतु कार्यालय प्रबन्धक संचालन, डीलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर हेतु रवाना हुये तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान मय कानि. श्री अमित ढाका कानि 489 श्री पन्नालाल कानि. 09 श्री सुभाष मील कानि. 465, श्री हिमांशु शर्मा कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय चालक मय प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के वास्ते अग्रिम कार्यवाही के लिये ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से कार्यालय प्रबन्धक संचालन, डीलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर हेतु रवाना हुआ। समय 11.55 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान मय कानि. श्री अमित ढाका कानि 489 श्री पन्नालाल कानि. 09 श्री सुभाष मील कानि. 465, श्री हिमांशु शर्मा कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय चालक मय प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स, दो पीने के पानी की भरी हुई बोतल आदि साजो सामान के वास्ते अग्रिम कार्यवाही के लिये ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से कार्यालय प्रबन्धक संचालक, डीलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर के सामने पहुँचा जहां पर परिवादी श्री राजकुमार एवं श्री मनीष सिंह कानि.486 के उपस्थित मिले, इसी दौरान श्री कमल नयन अधीक्षक मय हमराहियान के साथ स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर के पास उपस्थित आये, तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि इस समय संदिग्ध श्री राहुल बंसल, प्रबन्धक संचालन, डिलक्स

आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर अपने कार्यालय में ही मिलेगा, तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपूर्द किया तथा परिवादी की स्कूटी सडक के किनारे खडी करवाकर श्री मनीष सिंह कानि. 486 के साथ परिवादी को संदिग्ध अधिकारी श्री राहुल बंसल से अपने कार्य के सम्बन्ध में वार्ता कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त रिश्वती राशि अपने जेब से निकालकर उसको देने की हिदायत की। परिवादी को यह भी हिदायत की गई कि संदिग्ध अधिकारी को रिश्वत राशि देने के बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता को पूर्व निर्धारित ईशारा करें। तत्पश्चात परिवादी को कानि श्री मनीष सिंह के साथ कार्यालय प्रबन्धक संचालक, डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर हेतु रवाना किया गया, मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान ने सरकारी वाहनों को कार्यालय डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर से कुछ दूर पहले वाहनों को रोड के किनारे खडा करवाकर हमराहियान स्वतंत्र गवाहान तथा जाब्ते को परिवादी के पीछे–पीछे रवाना कर परिवादी के आस–पास रहकर अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने की हिदायत की गई, मन् निरीक्षक पुलिस भी अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय होने वार्ता को सुनने तथा देखने का प्रयास करने हेतु कार्यालय डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर के आस–पास मुकिम हुआ। समय 12.45 पीएम पर परिवादी श्री राजकुमार ने कार्यालय डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, जयपुर के अन्दर से ही पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता मय उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी के पास कार्यालय प्रबंधक संचालन के सामने पहुंचा तो परिवादी ने पूर्व में सुपूर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर प्रस्तुत किया, जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद कर अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी ने अपने पास में खडे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही प्रबंधक संचालक श्री राहुल बंसल है जिसने अभी मेरे से दिनांक 20.04.2023 को सरकारी गाडी नं0 आरजे 14 पीसी 0585 के सामने के शीशे में क्रेक होने पर चार्जशीट नहीं देने तथा उक्त शिशे की क्षति राशि का भुगतान मुझ से नही वसूलने की ऐवज में रिश्वती राशि 2,500/– रूपये अपने बाये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट के पीछे की बायी जेब में रखे है। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राहुल बंसल पुत्र श्री राकेश बंसल जाति–महाजन, उम्र–33 साल, निवासी– गणेश चौक, पुलिस थाना– महुआ, जिला–दौसा हाल निवासी– प्लाट न. 218, फ्लैट नम्बर– एस 2, सूर्य नगर, रिद्धी सिद्धी चौराहे के पास, पुलिस थाना– महेश नगर, जिला– जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय, जयपुर हाल प्रबंधक संचालन, डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री राहुल बंसल को मन् निरीक्षक पुलिस ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष पूछा की अभी आपने श्री राजकुमार से कोई रिश्वती राशि ली है, तो पहले तो संदिग्ध आरोपी श्री राहुल बंसल घबरा गया, फिर तसल्ली देकर

पूछा तो उसने बताया कि श्री राजकुमार हमारे आगार कार्यालय की सरकारी गाडी नम्बर 0585 (डीलक्स बस) का चालक था तथा कुछ दिन पूर्व उक्त गाडी के दूर्घटनाग्रस्त हो जाने से गाडी का शीशा टूट गया था। श्री राजकुमार, चालक बिना किसी कागजी कार्यवाही के उक्त शीशे को सही करवाने हेतु मेरे पास आये थे। तब मैंने कहा कि शीशे की कीमत साढे नो हजार रूपये है। राजकुमार जी द्वारा शीशे की कीमत बहुत ज्यादा बतायी गई। जिस पर इन्होंने मुझे उक्त शीशे को लगवाने के लिये अभी 2,500/– रूपये दिये है। जो मैंने अपनी पहनी हुई जिंस पेंट के पीछे की जेब में रखे है। तत्पश्चात् संदिग्ध श्री राहुल बंसल को नियमानुसार दूर्घटनाग्रस्त सरकारी गाडी के शीशा लगवाने की विभागीय प्रक्रीया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सबसे पहले दूर्घटनाग्रस्त गाडी कार्यशाला में आती है, जिस पर कार्यालय के गेट पर उपस्थित गार्ड गाडी की दूर्घटना की रिपोर्ट बनाकर देता है। फिर कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारी श्री प्रमोद जी के माध्यम से नोटशीट पर वह रिपोर्ट मुझ प्रबंधक संचालन को प्रस्तुत की जाती है। उसके पश्चात मेरे द्वारा चालक को स्पष्टीकरण जारी किया जाता है तथा वाहन का कार्य आगार स्तर पर करवाया जाता है। चालक द्वारा जबाव दिये जाने पर वाहन क्षति राशि के बारे में स्टोर प्रभारी से रिपोर्ट ली जाती है तथा यदि प्रकरण कम क्षति का होता है तो चालक द्वारा क्षति राशि को निगम कोष में जमा करवाकर निगम को हुये नुकसान की भरपाई कर ली जाती है। इस प्रकार प्रकरण का पत्रावलीबद्ध निस्तारण किया जाता है। दूर्घटना में वाहन का नुकसान ज्यादा होने पर प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही के लिये मुख्य प्रबंधक को भेजा जाता है। तत्पश्चात् परिवादी श्री राजकुमार के द्वारा दूर्घटनाग्रस्त वाहन सं0 आरजे 14 पीसी 0585 की कार्यवाही के सम्बंध में पूछने पर संदिग्ध श्री राहुल बंसल ने बताया कि उक्त वाहन की गार्ड रिपोर्ट नहीं बनी है। इन्होंने बिना रिपोर्ट ही वाहन का कार्य करवाने के लिये मुझे कहा था तो मैंने इनकी गाडी का कार्य केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर से करवाया था जिसका अभी मेरे कार्यालय में बिल प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में जानकारी स्टोर प्रभारी श्री शेलेन्द्र सोलंकी दे सकते है जो अभी अवकाश पर है। तत्पश्चात् मौके पर उपस्थित श्री राजकुमार, परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा वाहन सं0 0585 का शीशा क्रेक होने पर मैंने उसी दिन गाडी को कार्यशाला में लाकर श्री राहुल बंसल को दिखा दिया था। श्री राहुल बंसल ने मुझे कहा कि उक्त शीशा सीडब्ल्यूएस वर्कशॉप बगराना से लगवा दूंगा तथा आपके कोई पैसा भी नहीं लगने नहीं दूंगा तथा न ही गाडी का शीशा टूटने के सम्बंध में आपके विरूद्ध कोई कार्यवाही करूंगा, परन्तु इसके लिये आपको 5,000/– रूपये मेरे को देने पडेंगे। जिस पर मैंने इनसे कहा कि गाडी का शीशा मैंने नहीं तोडा है वह पहले से ही क्रेक हो रखा था जो गाडी चलने के कारण जम्प/ब्रेकर पर ज्यादा क्रेक हो गया था। जिस पर इन्होंने कहा कि पैसे नहीं देने पर आपको चार्जशीट भी मिलेगी तथा आपको उक्त क्षति का भुगतान भी करना पडेगा। परिवादी ने यह भी बताया कि श्री राहुल बंसल के कहने पर मैंने केन्द्रीय कार्यशाला से मेरी गाडी का शीशा लगवाया था। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने हमराहियान कानि0 श्री मनीष सिंह 486 से आरोपी श्री राहुल बंसल का बांया हाथ तथा कानि0 श्री पन्नालाल नं0 09 से आरोपी श्री राहुल बंसल का दायां हाथ पकडवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर गवाहान के समक्ष चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस ने हमराहियान जाब्ते तथा स्वतंत्र गवाहान के साथ आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालक के कार्यालय में पहुंचा। तत्पश्चात् परिवादी श्री

राजकुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बॉक्स मांगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालक के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R–1 व R–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालक के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी/गधमेला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L–1 व L–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद परिवादी के बताये अनुसार स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश गुर्जर से आरोपी श्री राहुल बंसल के पहनी हुई जींस पेंट के पीछे की बांयी जेब की तलाशी तथा आरोपी की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसमें से पांच–पांच सौ रूपये के 15 नोट तथा बीस–बीस रूपये के 02 नोट (सभी भारतीय चलन मुद्रा के) बरामद होना पाया गया। इस प्रकार कुल 7,540/– रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो आरोपी श्री राहुल बंसल के पहनी हुई जींस पेंट के पीछे की बांयी जेब से बरामद पांच–पांच सौ रूपये के 15 नोटों में से 05 नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के कुल 2,500/– रूपये) का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से हूबहू होना पाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालन के कब्जे से उसके पहनी हुई जींस पेंट के पीछे की बांयी जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 2,500/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालन के लिये दूसरी पेन्ट की व्यवस्था कर आरोपी की पहनी हुई जिंस पेन्ट को उतरवाया जाकर दूसरी पेंट पहनाई गई। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालन की उतरवायी गई जिंस पेन्ट की पीछे की बांयी जेब को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डूबोकर नियमानुसार धोवन लिया गयो तो धोवन का रंग हल्का गधमेला हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P–1 व P–2 अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी की जिंस पेन्ट की बांयी जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जिंस पेन्ट को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क 'P' अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी के दौरान आरोपी के वरवक्त पहनी हुई जिंस पेंट के पीछे की बांयी जेब से रिश्वति राशि के साथ बरामद पांच–पांच सौ रूपये के अन्य 10 नोटों तथा बीस–बीस रूपये के 02 नोटों (सभी भारतीय चलन मुद्रा के) का विवरण निम्नानुसार है :–

1.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	0LF	238005
2.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	6HE	423388
3.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	1MQ	778093
4.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	2KS	235954
5.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	5QQ	377094
6.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	9HT	336654
7.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	4BP	843473
8.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	3EV	361475
9.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	9HT	336655
10.	एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बरी	1CQ	074360
11.	एक बीस रूपये का नोट नम्बरी	37B	907206
12.	एक बीस रूपये का नोट नम्बरी	60E	958452

आरोपी की जामा तलाशी में रिश्वत राशि के साथ बरामद उपरोक्त राशि 5,040/– रूपये(पांच–पांच सौ रूपये के 10 नोटों तथा बीस–बीस रूपये के 02 नोटों (सभी भारतीय चलन मुद्रा के) के सम्बंध में आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालक से पूछने पर उसने बताया कि उक्त राशि वालपेपर के लिये आज ही घर से लेकर आया हूं। चूंकि जामा तलाशी के दौरान आरोपी के पर्स से भी 2,600/– रूपये अलग से प्राप्त हुये है इसलिये अगर आरोपी अपने घर से उक्त संदिग्ध राशि लेकर आया होता तो सम्भव है कि उक्त राशि भी वह अपने पर्स में रखी गई राशि के साथ में ही रखता परन्तु मौके की कार्यवाही से भी प्रतीत होता है कि आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि लेकर अपने पर्स से अलग अपनी पहनी हुई जींस पेंट के पीछे की जेब में रखी है तथा उसी जेब से यह राशि 5,040/– रूपये बरामद हुई है जो संदिग्ध प्रतीत होती है। जिसके सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान से ही स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त राशि 5,040/–रूपये प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से पृथक से एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् मौके पर श्री प्रमोद कुमार टेलर उपस्थित आये जिन्होंने भी बताया कि दूर्घटनाग्रस्त वाहन वर्कशॉप में आने पर पहले गार्ड रिपोर्ट कर मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जिसे नोटशीट पर मेरे द्वारा प्रबंधक संचालन को प्रस्तुत की जाती है तथा प्रबंधक संचालन द्वारा चालक से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। चालक द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर रिपोर्ट प्रबंधन संचालन द्वारा मुख्य प्रबंधक, डिलक्स डिपो को भिजवाई जाती है तथा वाहन का काम करवाया जाता है। बिमीत गाडी का क्लेम कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाता है एवं अबिमीत गाडी की क्षति का भुगतान की रसीद बनाई जाकर चालक से वसूल किया जाता है। वाहन सं0 आरजे 14 पीसी 0585 के दूर्घटनाग्रस्त होने के सम्बंध में वर्कशॉप गार्ड द्वारा मुझे आज दिनांक तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। वाहन सं0 आरजे 14 पीसी 0585 की राशि के भुगतान के सम्बंध में जानकारी स्टोर प्रभारी श्री शेलेन्द्र दे सकते है जो

आज अवकाश पर है। इस मामले में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 24.04.2023 एवं दिनांक 26.04.2023 तथा आज दिनांक 02.05.2023 को परिवादी तथा आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर के मध्य हुई वार्ता तथा अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर द्वारा परिवादी से सरकारी वाहन सं0 आरजे 14 पीसी 0585 का शीशा टुटने पर चार्जशीट नहीं देने तथा उक्त शीशे का भुगतान परिवादी से वसूल नहीं करने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 5,000/- रूपये की मांग कर 2,500/- रूपये पर सहमत होना एवं आज दिनांक को दौराने कार्यवाही परिवादी से 2,500/- रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबंधक संचालन द्वारा अपराध धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा एवं हालात मौका मूर्तिब किया गया। बाद कार्यवाही प्रबंधक सचालन के कार्यालय कक्ष को श्री प्रमोद कुमार टेलर को सुरक्षित सम्भलाया गया। श्रीमती माया चौधरी,डीजल इंचार्ज, डीलक्स डिपो द्वारा पेश छायाप्रति प्रमाणित इण्डेट नं. 52437 दिनांक 20.04.2023 गुड्स रसीद सीट नं. 175064 दिनांक 20.04.2023 पेश की। सेमी डीलक्स बस संख्या-आरजे-14 पीसी 0585 का दिनांक 20.04.2023 को शीशा टुटने के सम्बन्ध में किये पत्राचार/नोटशीट/लोकशीट एवं समस्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति एवं गार्ड रूम में हुई एन्ट्री तथा गार्ड द्वारा बनाई गई रिपोर्ट आईन्दा देना बताया। तत्पश्चात श्री कमल नयन उप अधीक्षक पुलिस, श्री प्रमेन्द्र रावत उप अधीक्षक पुलिस, श्री रोशन लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर बाद सहायतार्थ कार्यालय प्रबन्धक संचालक, डीलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर से एसीबी कार्यालय को रवाना हुये। मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान मय कानि. श्री अमित ढाका कानि 489 श्री पन्नालाल कानि. 09 श्री सुभाष मील कानि. 465, श्री हिमांशु शर्मा कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय चालक मय प्रिंटर, कागज एवं ट्रेप बॉक्स जप्तशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राहुल बंसल का स्वास्थ्य परीक्षण एमओ राजकीय कांवटिया अस्पताल, जयपुर से करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर राजकीय कांवटिया अस्पताल जयपुर से रवाना होकर एसीबी कार्यालय उपस्थित आया। जहां पर परिवादी श्री राजकुमार व श्री मनीष सिंह कानि 486 उपस्थित मिले। श्री मनीष सिंह कानि.ने आरोपी श्री राहुल बंसल का सेवा विवरण, वर्तमान पदस्थापन आदेश एवं प्रथम नियुक्ति की प्रमाणित प्रति पेश की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई है। तत्पश्चात परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डस को बारी-बारी चलाकर सुना गया तो उसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन के वक्त की वार्ता हुई जो रिकार्ड होना पाई गई है जिसकी नियमानुसार डीवीडी व फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत राशि आदान-प्रदान के समय काम में लिया गया मेमोरी कार्ड जप्त किया गया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल,रिश्वत राशि

लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि परिवादी श्री राजकुमार से आरोपी श्री राहुल बंसल पुत्र श्री राकेश बंसल जाति–महाजन, उम्र–33 साल, निवासी– गणेश चौक, पुलिस थाना– महुआ, जिला–दौसा हाल निवासी– प्लाट न.218, फ्लैट नम्बर– एस 2, सूर्य नगर, रिद्धी सिद्धी चौराहे के पास, पुलिस थाना– महेश नगर, जिला– जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय, जयपुर हाल प्रबन्धक संचालन, डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर द्वारा परिवादी से सरकारी वाहन सं0 आरजे 14 पीसी 0585 का शीशा टुटने पर चार्जशीट नहीं देने तथा उक्त शीशे का भुगतान परिवादी से वसूल नहीं करने की एवज में अनुचित लाभ के तौर पर 5,000/– रूपये की मांग कर 2,500/– रूपये लेने पर सहमत होना तथा दौराने कार्यवाही परिवादी से 2,500/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित करना प्रमाणित पाये जाने से आरोपी श्री राहुल बंसल पुत्र श्री राकेश बंसल जाति–महाजन, उम्र–33 साल, निवासी– गणेश चौक, पुलिस थाना– महुआ, जिला–दौसा हाल निवासी– प्लाट न.218, फ्लैट नम्बर– एस 2, सूर्य नगर, रिद्धी सिद्धी चौराहे के पास, पुलिस थाना– महेश नगर, जिला– जयपुर दक्षिण, आयुक्तालय, जयपुर हाल प्रबन्धक संचालन, डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने, झोटवाडा रोड, जयपुर के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(रघुवीर शरण शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राहुल बंसल, प्रबन्धक संचालन, डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, स्पेस सिनेमा के सामने झोटवाड़ा रोड़, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 105/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3.5.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-798-801 दिनांक 3.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक(प्रशासन), डिलक्स आगार, आरएसआरटीसी, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

3.5.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।